

प्रेस नोट थाना बासगांव दिनांक 08.10.2020

पाक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री नितेश सिंह के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थानाध्यक्ष बांसगांव जगत नरायन सिंह व उनकी टीम को लगाया गया था। पुलिस टीम को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त राकेश पुत्र रामचेत निवासी महुआपार थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 650/2020 धारा 363,366,504,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट कही जाने के फिराक मे भैसा बाजार मे काली मन्दिर के सामने पिपल के पेड़ के पास मौजूद है और कही जाने के फिराक में है। मुखबीर खास के द्वारा बताये गये स्थान पर पीपल के पेड़ के पास मन्दिर के तरफ जाते जाते आरोपी को घेरघार कर दिनांक 07.10.2020 को समय करीब 22.30 बजे पकड कर कारण गिरफ्तारी बताते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

राकेश पुत्र रामचेत निवासी महुआपार थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 650/2020 धारा 363,366,504,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. उ0नि0 सत्यदेव, थाना –बांसगांव, जनपद- गोरखपुर

2. कां० पिन्टू कुमार थाना –बांसगांव, जनपद- गोरखपुर

3. कां० संजय यादव थाना –बांसगांव, जनपद- गोरखपुर